विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0030213

मेसर्स प्रीत ऑक्सीजन, — आवेदक
501, कृष्णा कुंज, स्कीम नं. 71,
अपोजिट लहोटी नर्सिंग होम,
इन्दौर (म.प्र.) – 452009

विरूद्ध

1. कार्यपालक निदेशक (IR),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

2. अधीक्षण यंत्री (संधा./संचा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

3. कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

आवेदक की ओर से श्रीमती भक्ति व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक की ओर से श्री गणेश देवड़ा उपस्थित ।

आदेश
(दिनांक 03.09.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक W0094909 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2011 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन दिनांक 04.03.2013 को प्रस्तुत किया गया है ।

2. इस प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि आवेदक की निजी कम्पनी है जो विद्युत की उपभोक्ता है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी है, जो सार्वजनिक कम्पनी है तथा विद्युत वितरण के लिए ऐसी कम्पनी को एकाधिकार प्राप्त है । आवेदक कम्पनी ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी से विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्ताव किया था । विद्युत वितरण कम्पनी ने उपभोक्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे विद्युत प्रदान

करने में सहमति व्यक्त की थी । पक्षकारों की सहमति के आधार पर उनके मध्य दिनांक 04.01.2006 को संविदा निष्पादित हुई थी । उक्त संविदा की शर्तों के अनुसार दिनांक 16.03.2006 से आवेदक/उपभोक्ता कम्पनी को 220 के.वी.ए. का भार अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रदान किए जाना था तथा इसके 6 माह बाद दिनांक 16.09.2006 से विद्युत भार 300 के.वी.ए. के मान से प्रदान किया जाना था । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिनांक 16.09.2006 अर्थात् सितम्बर 2006 से बढ़े हुए भार के मान से उपभोक्ता को देयक प्रदान नहीं किए गए थे, अपितु ऐसे देयक 220 के.वी.ए. भार के मान से प्रदान किए जाते थे । देयक जारी किए जाने में गलती की जानकारी होने के बाद विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सितम्बर 2006 से अगस्त 2008 की अवधि के लिए दिनांक 27.09.2008 को संशोधित देयक जारी किया गया । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ऐसे देयक जारी किए जाने पर उपभोक्ता ने यह आपत्ति की कि दिनांक 16.03.2006 को 220 के.वी.ए. के भार के मान से उसके परिसर में जो ट्रांसफार्मर लगाया गया था उसे दिनांक 16.09.2006 या उसके पश्चात् नहीं बदला गया था । जो ट्रांसफार्मर 220 के.वी.ए. भार के लिए लगा था उस ट्रांसफार्मर की क्षमता 300 के.वी.ए. का भार वहन करने की नहीं थी, ऐसी स्थिति में बढ़े हुए भार का विद्युत प्रदान उसे नहीं किया गया था । सितम्बर 2006 के बाद उसे जो बिल जारी किया गया था वह बढ़े हुए भार के मान से नहीं थे, अतः उपभोक्ता को यह जानकारी नहीं थी कि उसे बढ़े हुए भार के मान से विद्युत प्रदान किया जा रहा है, अतः विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जो देयक जारी किया गया है वह निरस्त किए जाने योग्य है ।

3. फोरम में प्रस्तुत शिकायत को पंजीबद्ध किए जाने के बाद शिकायत W0094909 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2009 के द्वारा शिकायत का निराकरण किया गया । फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया तथा विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उपभोक्ता की प्रश्नगत् शिकायत का निराकरण किए जाते समय फोरम ने विद्युत अधिनियम तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 का पालन नहीं किया है । विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उक्त शिकायत को मान्य करते हुए फोरम को यह निर्देश दिया कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत शिकायत का निराकरण उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः किया जावे । फोरम द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रश्नगत् आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

4. फोरम के प्रश्नगत् आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा फोरम को अपने आदेश का पुनरावलोकन किए जाने का आदेश दिया था ।

यह आदेश सीमित बिन्दुओं पर आधारित था, अतः फोरम को अपने पूर्व के आदेश में परिवर्तन का अधिकार नहीं था । चूंकि फोरम ने पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए नवीन आदेश दिया है, जो कि विधि विरूद्ध है । इसके अतिरिक्त विद्युत निरीक्षक से उपभोक्ता को नवीन ट्रांसफार्मर लगाने की अनुमति नहीं मिली थी, इस कारण वह 300 के.वी.ए. भार का उपयोग नहीं कर पा रहा था, अतः 300 के.वी.ए. भार के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत वितरण कम्पनी टैरिफ वसूल पाने की अधिकारी है, इस संबंध में फोरम ने जो आदेश दिया है वह अपास्त किए जाने योग्य है ।

5. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपभोक्ता के अभ्यावेदन के संबंध में इस आशय की आपत्ति की गई है कि फोरम का आदेश विधिसंगत है, ऐसे आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

6. उभयपक्ष के तर्क सुने गए हैं । उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित दस्तावेज तथा उनकी ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में मुख्य रूप से **विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

1. क्या मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा फोरम को दिए गए निर्देशों के बाद फोरम द्वारा आदेश का पुनरावलोकन किए जाते समय विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है ? ।
2. क्या अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा दिनांक 27.09.2008 को जारी विद्युत देयक पक्षकारों के मध्य निष्पादित संविदा के विपरीत होने से अवैध है ? ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

7. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विवेचन :** इस तथ्य के संबंध में उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन में कई विधिक बिन्दु उपस्थित किए गए हैं तथा सिविल प्रक्रियां संहिता के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है । सिविल प्रक्रियां संहिता के प्रावधानों के संबंध में विचार किए जाने के पूर्व इस तथ्य पर विचार किया जाना उचित होगा कि फोरम की विधिक स्थिति क्या है ? ।

8. भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 42 के खण्ड 5 के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाईसेंसी अर्थात् विद्युत वितरण के लिए उत्तरदाई कम्पनी अर्थात् आयोग द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता की शिकायतों (Grievances) का निराकरण किए जाने के लिए फोरम की स्थापना करेगा ।

9. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2004 के विनियम क्रमांक 3.19 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता की ओर से प्राप्त शिकायत का निराकरण करने के लिए फोरम सम्यक रूप से ऐसी प्रक्रियां का पालन करेगा, जिसे समय–समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जावेगा । विधि के उक्त उपबंधों का अवलोकन करने से यह

पाया जाता है कि उपभोक्ता की ओर से प्राप्त शिकायत का निराकरण करते समय फोरम को सिविल प्रक्रियां संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं करना है अपितु आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार ऐसी शिकायतों का निराकरण करना है । इस मामले में पहली बार उपभोक्ता के द्वारा फोरम के समक्ष शिकायत किए जाने पर फोरम ने आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियां का पालन नहीं किया था । ऐसी शिकायत अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किए जाने पर आयोग ने फोरम को भारतीय विद्युत अधिनियम तथा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया था । इस तथ्य से स्पष्ट है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय पहली बार जो आदेश दिया था वह विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं था । इसी कारण आयोग द्वारा विधि के उक्त उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में फोरम को शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया गया था । अतः उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय फोरम अपने पहले आदेश से बंधित नहीं था तथा वह विधि के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में शिकायतों का निराकरण करने के लिए स्वतंत्र था । उपभोक्ता की ओर से फोरम के आदेश के संबंध में प्रस्तुत यह आपत्ति विधिसंगत प्रतीत नहीं होती कि फोरम ने आदेश करते समय विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया था । अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विनिश्चय उपभोक्ता के विरूद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है ।

10. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 2 का विवेचन :** उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य दिनांक 04.01.2006 को जो संविदा निष्पादित की गई थी उस संविदा की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता इस तथ्य से भली–भॉति अनुज्ञप्त था कि उसे दिनांक 16.03.2006 से 15.06.2006 तक 6 माह की अवधि के लिए 220 के.वी.ए. का विद्युत भार प्रदान किया जावेगा तथा इसी सीमा तक वह विद्युत भार का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत होगा । दिनांक 16.09.2006 से उसके भार में वृद्धि की जावेगी और इस दिनांक से वह 300 के.वी.ए. विद्युत भार का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत होगा ।

11. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 (जिसके उपबंध इस शिकायत के संबंध में लागू होंगे) की धारा 4.1 के अनुसार संविदा भार 50 किलोवॉट या उससे अधिक होने पर समुचित क्षमता के 1 पृथक ट्रांसफार्मर की स्थापना उपभोक्ता के खर्चें पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा की जावेगी । उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का अधिकतम विद्युत भार 300 के.वी.ए. था और उक्त भार के मान से समुचित क्षमता के ट्रांसफार्मर का खर्चा उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाना था और उपभोक्ता द्वारा खर्च वहन किए जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ऐसा ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना था ।

12. इस बिन्दु के संबंध में उपभोक्ता का तर्क है कि दिनांक 16.03.2006 उसे 220 के.वी.ए. का विद्युत भार प्रदान किया जाना था, अतः उक्त संविदा मांग के आधार पर उसके परिसर में 250 एच.पी. का

ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था जो मांग के अनुपात में समुचित था, परन्तु ऐसा ट्रांसफार्मर 300 के.वी.ए. संविदा मांग के लिए समुचित नहीं था, क्योंकि ऐसे भार के लिए अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाना आवश्यक था । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भार में वृद्धि किए जाने के पूर्व या भार में वृद्धि किए जाते समय ऐसे समुचित क्षमता के ट्रांसफार्मर को प्रतिस्थापित नहीं किया था तथा विद्युत निरीक्षक द्वारा ऐसा ट्रांसफार्मर लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई थी । अतः यही माना जावेगा कि उपभोक्ता के परिसर के लिए 300 के.वी.ए. का संविदा भार प्रदान नहीं किया गया था । अपने समर्थन में उपभोक्ता की ओर से ''सिद्धार्थ ट्यूब लिमिटेड वर्सेस एम.पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (एलपीए 270 आफ 2002)'' का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है और फोरम ने उक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में यह मत दिया है कि न्याय दृष्टांत में वर्णित तथ्य उपभोक्ता की शिकायत से भिन्न है, अतः उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त का कोई लाभ उपभोक्ता को प्राप्त नहीं होता है । यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि उपभोक्ता जिस बात पर विशेष रूप से बल दे रहा है वह प्रावधान भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्रावधानों से संबंधित है । उक्त नियम भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए थे । विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान प्रभावशील होने के पश्चात उक्त नियम में वर्णित प्रावधान प्रभावहीन हो जाते हैं तथा मध्यप्रदश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.8 में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधान होने से ऐसे नियम प्रभावशील नहीं होते हैं । उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधान ही प्रभावशील होंगे, अतः फोरम द्वारा प्रश्नगत न्याय दृष्टांत के संबंध में जो मत दिए गए हैं उससे भिन्न मत देने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

13. दिनांक 16.09.2006 से उपभोक्ता की अधिकतम मांग 300 के.वी.ए. होना था । 300 के.वी.ए. के लिए समुचित क्षमता का ट्रांसफार्मर क्या होगा, इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में होना नहीं पाया जाता है, परन्तु उभयपक्ष इस तथ्य से सहमत थे कि ऐसे भार के लिए 315 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर लिया जाना चाहिए था ।

14. यदि यह मान लिया जाए कि 300 के.वी.ए. संविदा भार के लिए 315 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर समुचित क्षमता का ट्रांसफार्मर था तब उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय लेने के पूर्व इस क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित कराना था । उपभोक्ता द्वारा उससे कम क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित कराया गया था । ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित कराने का खर्चा उपभोक्ता को देना था, ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता 315 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित कराने का खर्चा देने को तैयार होता तब ऐसी क्षमता के ट्रांसफार्मर को प्रतिस्थापित करने पर अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी द्वारा आपत्ति किए जाने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि

उभयपक्ष यह जानता था कि विद्युत वितरण प्रारंभ किए जाने की दिनांक से 6 माह बाद 300 के.वी.ए. संविदा भार उपभोक्ता को प्रदान किया जाना है ।

15. किसी भी उपभोक्ता के बारे में यह अपेक्षा नहीं कि जावेगी कि वह पहले 220 के.वी.ए. भार के लिए कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगायेगा और 6 माह बाद पुनः इस ट्रांसफार्मर को बदलकर अधिक भार का ट्रांसफार्मर कर खर्चा वहन करेगा । ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि उपभोक्ता 250 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर स्थापित करते समय यह जानता था कि उसकी अपेक्षा के अनुसार 300 के.वी.ए. संविदा भार की विद्युत आपूर्ति उसे प्राप्त हो सकेगी, इसी कारण उसने अधिक खर्च कर 315 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं कराया था । यहां इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाना उचित होगा कि उपभोक्ता द्वारा जिस क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित कराया जाता, के क्षमता के ट्रांसफार्मर का निरीक्षण व्यय उपभोक्ता के द्वारा अदा किया जाता, ऐसे निरीक्षण व्यय से बचने के लिए तथा कम खर्चे के तथ्य को देखते हुए उपभोक्ता द्वारा कम क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापित कराया गया था । अतः इस आधार पर उपभोक्ता के परिसर में समुचित क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं था, इसक कारण अनुज्ञप्तिधारी बढ़े हुए भार के मान से उपभोक्ता से टैरिफ वसूल नहीं कर सकता है, को उचित तथा विधिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

16. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 27.9.2008 के पूर्व उपभोक्ता को बढ़े हुए मान से विद्युत देयक जारी नहीं किया गया था, परन्तु इस तथ्य के संबंध में यदि विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी उत्तरदायी थे तो ऐसा समान उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर भी था । उपभोक्ता यह जानता था कि दिनांक 16.09.2006 से उसकी संविदा मांग बढ़ जाएगी और ऐसे बढ़े हुए भार के मान से उसे विद्युत देयक जारी किया जाना चाहिए, परन्तु उपभोक्ता द्वारा कम भार के देयक जारी किए जाने पर भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई थी । अतः यदि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सितम्बर 2006 के अगले माह से बढ़े हुए भार के मान से उपभोक्ता को देयक जारी नहीं किया गया था तो इस तथ्य से यह नहीं माना जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य निष्पादित किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ था ।

17. उपभोक्ता के परिसर में 220 के.वी.ए. भार दिनांक 16.03.2006 से प्रदान किया गया था तथा दिनांक 16.09.2006 से उसे 300 के.वी.ए. भार दिया जाना था । इस 6 माह की अवधि में यदि उपभोक्ता को बढ़े हुए भार की आवश्यकता नहीं थी तो भार में कमी किए जाने का अभ्यावेदन उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत कर भार में कमी कराई जा सकती थी, परन्तु उपभोक्ता द्वारा इस तरह की किसी प्रक्रियां का पालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है ।

18. उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सितम्बर 2006 से अगस्त 2008 तक की अवधि के लिए विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को 300 के.वी.ए. भार के मान से जो संशोधित बिल जारी किया गया था

वह बिल पक्षकारों के मध्य निष्पादित संविदा के अनुरूप था तथा ऐसा बिल जारी किए जाने का अधिकार विद्युत वितरण कम्पनी को था । बिल के संबंध में विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किसी तरह की अनियमितता या अवैधता नहीं की गई थी । अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 2 का विनिश्चय उपभोक्ता के विरूद्ध नकारात्मक निर्णीत किया जाता है ।

: निष्कर्ष :

19. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता के अभ्यावेदन के आधार पर फोरम के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिसंगत आधार नहीं पाया जाता है, अतः फोरम के आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है तथा फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

20. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल